मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2010 से 13.12.12

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के अवधि 1/2010 से 12/2012 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) **अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी न्यास के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेः–**

क0 सं0	**अध्यक्ष (एस0डी0एम0)**	**कार्यकाल अवधि**
1	श्री विनय सिह ठाकुर	1.1.2010 से 16.2.11
2	श्री सदीप कुदन	16.5.11 से 2.5.12
3	श्री रोहित सिह ठाकुर	2.5.12 से 31.12.02

(iii) **गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

पैरा सं0	विवरण	राशि
9	किराये के रुप में शेष राशि की वसूली न करना	**₹1813965**

(iv) **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दैरान समीक्षा की गई व कुछ पैरों के उत्तर सन्तोष जनक पाए जाने पर निपटारा किया गया। इसके

अतिरिक्त मन्दिर न्यास के अधिकारियो./कर्मचारियों को शेष पैरों पर भी शीघ्र आथोचित कार्रवाई अमल में लाने हेतु परार्मश दिया गया है। पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ठ "A"** पर दी गई है।

2 **वर्तमान लेखा परीक्षाः–**

मदिन्र न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के अवधि 1–1–2010 से 31–12–2012 के लेखों का अंकेक्षण वर्तमान श्री यशवीर कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनॉक 22.10.13 से 24. 10.13, दिनॉक 1.11.13 से 2.11.13, 4.11.13 से 8.11.2013, दिनॉक 12.11.13, 13.11.13, 15.11.13 व 16.11.13 के दौरान बिलासपुर में किया गया। विस्तृत जॉच के लिए निम्न मासों को चयनित किया गया।

अवधि	**चयनित मास**
1–1–2010 से 31–12–2010	8/10, 10/10
1.1.13 से 31.12.2011	8/11, 10/11
1.1.2012 से 31.12.2012	8/12, 10/12

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के लेखाओं के लिए जो रिकार्ड/अभिलेख प्रस्तुत किए गए, अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप तदानुसार ही तैयार किया गया। किसी प्रकार की अधूरी/अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय निधि लेखा विभाग हि0प्र0 का कोई दायित्व नही होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0–फिन–एल0ए0–1–455/92–दिनॉक 6.7.2001 के अनुसार ₹8400 आंका गया है। अुनभाग अधिकारी द्वारा अधिसूचना सं0–13 दिनॉक 16–11–2013 जारी करके उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय निधि लेखा विभाग हि0प्र0–शिमला–9 को भिजवाने बारे अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थितिः–

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के लेखों के अवधि 1.1.2010 से 31.12.12 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही।

वर्ष–2010	**राशि**
प्रारम्भिक शेष	7221414
आय	1082372
व्याज	55668
कुल योग	8359454
व्यय	989810
अन्त शेष	7369644

बैंक में शेषः–

क0सं0	**खाता सं0**	**राशि**
1	3617	980750
2	9557	15067
3	1833	490843
4	964	40518
	योग	**1527178**

सावधि निवेशः–

क0सं0	**खाता सं0**	**राशि**
1	216	4794215

2	239374	1012178
	योग	**5806393**

कुल शेषः–

क0सं0	**एफ0डी0आर सावधि जमा**	**राशि**
1	बैक अनुसार 31–12–10 तक शेष	1527178
2	सवधि जमा योजना में शेष	5806393
	योग	7333571
3	अन्तर=(₹7369644–₹7383571)	36073

वर्ष 2011

प्रारम्भिक शेष	7369644
आय	1083836
ब्याज	34455
कुल योग	8487975
व्यय	1136812
अन्त शेष	7351163

बैंक में शेषः–

क0सं0	**खाता सं0**	**राशि**

1	3617	961269
2	9597	15631
3	1833	509000
4	964	42017
	योग	**1527917**

सावधि निवेशः—

क0सं0	**खाता सं0**	**राशि**
1	216	4794215
2	239374	1012178
	योग	**5806393**

कुल शेषः—

क0सं0	**एफ0डी0आर सावधि जमा**	**राशि**
1	सावधि निवेश	5806393
2	बैक के अनुसार 31—12—11 तक शेष राशि	1527917
	योग	7334310
3	अन्तर=(₹7351165—₹7334310)	₹16853.

वर्ष 2012

प्रारम्भिक शेष	7351163
आय	1232374
ब्याज	24722
कुल योग	8608259
व्यय	1174542
अन्त शेष	7433717

बैंकों में शेषः—

क्र0सं0	**बैंक का नाम / खाता सं0**	**राशि**
1	हि0प्र0 रा0स0 बैंक शाखा बिलासपुर / 3617	144802
2	9597	16265
	योग	**161067**

सावधि निवेशः—

क्र0सं0	**बैंक का नाम / सावधि सं0**	**राशि**
1	पजाव नैशनल बैक शाखा बिलासपुर / 216	4794215
2	पजाव नैशनल बैक शाखा बिलासपुर / 454	1012178

3	4923	523078
4	हि0प्र0 रा0को0 बैंक शाखा बिलासपुर / 4932	43179
5	541848	900000
	योग	7272650

कुल शेषः–

क0सं0	**सावधि जमा**	**राशि**
1	बैक में 31–12–12 तक शेष	161067
2	सावधि में निवेशित	72726500
	योग	7433717

5 **निवेशः–**

अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹7272650/– सावधि जमा के निवेश की गई की जिसका पूरा विवरण **परिशिष्ठ "क"** पर संग्लन है।

6 **वार्षिक बजटः–**

हि0प्र0 हिन्दु सावर्जनिक धार्मिक एंव विन्यास के सैक्शन–22 के अर्न्तगत मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2010 में वर्ष 2012 के लिए न्यास के वजट को तैयार नही करवाया गया। इस सदर्भ में गत अंकेक्षण में आपति उठाई हुई थी लेंकिन इसकी अनुपालना न करके उक्त नियम अधिनियम की अवहेलना है। अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2010 में वर्ष 2012 के व्यय सक्षम प्राधिकारी से कायोतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में विहित प्रावधानानुसार उचित समय पर वर्षवार बजट तैयार करके सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 **वर्षवार आय एंव व्यय का विषलेशनः–**

मन्दिर न्यास के वर्ष 2010 में वर्ष 2012 के आय तथा व्यय कि आकंडे निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आय	व्यय
2010	1082372	989810
2011	1083836	1136812
2012	1232374	1174542

विषलेशन :–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर की वर्ष 2010–2012 की आय में जो थोडी बहुत बढौतरी हुई है उसका मुख्य कारण मन्दिर परिसर व बस स्टैण्ड के पास निकिट 30 दुकानों से किराया वसूली, हिन्दू रीति के अनुसार मन्दिर विवाह की एक मुशत राशि की प्राप्ति तथा मन्दिर न्यास में चढत के रुप में राशि का प्राप्त होना है।

7 **सोने चांदी का स्टाकः–**

अभिलेखानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान लक्ष्मी नारायण मन्दिर में सोने चांदी का कोई आभूशण चढत के रुप में प्राप्त नही हुआ है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास के अधिग्रहण से पूर्व सुसजित अंलकार का भी कोई प्रमाण पत्र दर्ज नही पाया गया हैं, तथा न ही इसकी स्टाक में प्रविष्टि की गई है।

8 **स्थापनाः–**

अंकेक्षण अवधि 1.1.2010 से 31.12.12 के दौरान मन्दिर न्यास में निम्न कर्मचारी नियमित एवं दैनिक भोगी के रुप में कार्यरत रहेंः–

क0 सं0	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री जी0डी गौतम	वरिष्ठ सहायक

2	श्री ज्ञान चन्द	माली–कम
		चौकीदार

दैनिक भोगी कर्मचारी ₹6000 प्रतिमाह की दर से

1	श्री परमानन्द	पुजारी
2	श्री बावूराम	पुजारी
3	श्रीमती सीमा देवी	सफाई कर्मचारी

9 किराये के रुप में शेष ₹1813965 की वसूली न करनाः–

मन्दिर न्यास के रैन्ट रोल रजिस्टर की पडताल पर पाया गया है कि **परिशिष्ठ "ख"** के अनुसार दिनॉक 31–12–2012 तक ₹1803965 आबंटित दुकानदारों से वसूलने हेतु शेष पडी है जो कि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि यदि मन्दिर अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह नियमित दरों से सभी दुकानदारों से किराये को वसूलने हेतु उचित पग उठाए गये होते तो इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष न रहती और न ही मन्दिर न्यास को अप्रत्यक्ष रूप से व्याज की हानि उठानी पडती। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त राशि की वसूली के अतिरिक्त भविष्य में के नियमानुसार दुकानदारों से किराये की राशि समय पर वसूल की जाए।

10 विविघः–

(क) अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकों से प्राप्त आय की जॉच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीद बुको से प्राप्त आय की दैनिक सग्रह रजिस्टर में प्रविष्ठि नही की गई अपितु प्राप्त आय को सीधे तौर पर खाता सं0 36174 में जमा करवाया जो कि अनियमित है। अतः भविष्य में रसीद बुकों द्वारा प्राप्त आय को दैनिक सग्रह रजिस्टर में दर्ज करके ही रोकड वही एवं सम्बन्धित बैक खाते में जमा करवाया जाए।

र0स0	दिनॉक	राशि
2068	31.1.11	1500
0029	30.11.11	500
2065	18.1.11	2000
2066	21.1.11	2000
2067	27.1.11	500
कोई वर्णन नही	24.1.11	2200

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार श्रदालुओं से प्राप्त सामग्री की रसीदें तो काटी गई परन्तु प्राप्त सामग्री को खाद्यान रजिस्टर में प्रविष्टीयां नही की जिनके अभाव में सामग्री की प्राप्ति वितरण व शेष अन्य की जॉच नही की जा सकी।

र0स0	दिनॉक	सामग्री का नाम	मात्रा
2073	8.3.11	चावल	25 किलो
		तेल	1 टीन
2080	21.5.11	मक्की	50 किलो
2091	21.5.11	मक्की	50 किलो,
			30 किलो

11 चल अचल रजिस्टर तैयार न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा चल अचल सम्पति के रजिस्टर का निर्माण नही किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि चल अचल रजिस्टर का निर्माण शीघ्र करना अनिवार्य किया जाए।

15. लधु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

16 निष्कर्षः– लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)255/07खण्ड–1 दिनांक, 21.02.14, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रषित करना सुनिश्चित करे।

2 उप मण्डल अधिकारी–एंव अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर हि0प्र0

3 निदेशक, (भाषा एंव संस्कृति) विभाग, हि0प्र0 शिमला–9

4 अवर सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

हस्ता/–

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ठ "क" **पैरा 1(iv)**

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 20.6.05 से 31.12.07

1	पैरा 5 (1)	निर्णीत	(पैरा समाप्त पुनः प्रारूपित किया गया है।)
2	पैरा 6	निर्णीत	(न्यासीयों का गठन किया गया)
3	पैरा 7	अनिर्णीत	(रिर्टन तैयार करने वारे कोई प्रक्रिया नही गई है।)
4	पैरा 8 (1)	निर्णीत	(खाता सं0 वर्ष 2013 को बन्द कर राशि FDR में डाल दी गई)
5	पैरा 8 (2)	निर्णीत	(खाता बन्द कर कर दिया गया है।)
6	पैरा 8 (3)	निर्णीत	(बैंक खाता सं0 9597 जो कि **Co-of- Bank** से सम्बन्धित है में लेन देन प्रविष्टिया को गई है।)
7	पैरा 13	निर्णीत	(सटिप्पण उतर को समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त)
8	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत	(कोई कार्रवाई नही की गई)
9	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत	(कोई कार्रवाई नही की गई)
10	पैरा 14 (4)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है।)
11	पैरा 14 (7)	निर्णीत	(सटिप्पण उतर की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त)
12	पैरा 15	अनिर्णीत	(राशि की वसूली शेष है।)
13	पैरा 16	निर्णीत	(प्रक्रिया बन्द कर दी गई)
14	पैरा 17	अनिर्णीत	(कोई कार्रवाई नही की गई)

15	पैरा 18	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित)
16	पैरा 19	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.8 से 31.12.09

1	पैरा 6	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 7	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 8 (1)	निर्णीत	(कार्रवाई कर ली गई)
4	पैरा 8 (2)	निर्णीत	(खाता सं0 9597—सेविग से सम्बन्धित है।)
5	पैरा 8 (3)	निर्णीत	(सावधि खाता सं0 2574 को परिवक्ता में आंतरिक कर दिया गया)
6	पैरा 8 (4)	निर्णीत	(खाता सं0 1833 को बन्द करके शेष राशि की सावधि तैयार कर दी गई)
7	पैरा 8 (5)	अनिर्णीत	(व्याज पर TDS की कटौती के बारे कोई कार्रवाई नही की गई)
8	पैरा 9 (1)	निर्णीत	(किराया वसूली प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई)
9	पैरा 9 (2)	निर्णीत	(सटिप्पण उतर की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त)
10	पैरा 10	समाप्त	(सुझाव अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई)
11	पैरा 11	निर्णीत	(सुझाव अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक षेष	27
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	21
अन्तषेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009 तक अनिर्णीत पैरे	6